प्रेस नोट **21/03/2025**

थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत गिरफ्तार 02 नफर अन्तर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार, कब्जे से अंग्रेजी व देशी शराब लगभग चार लाख पच्चास हजार रुपये कीमती बरामद–

श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के द्वारा अपराध नियत्रंण के उद्देश्य से अपराधियों एवं अवैध शराब तस्करो के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री महेश सिंह अत्री के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली नगर व प्रभारी एस.ओ.जी. के संयुक्त अभियान में दिनांक 20.03.2025 को बलिया मोड़ भीटी थाना कोतवाली नगर मऊ से 02 नफर अवैध शराब तस्कर अभियुक्त 1. अमित कुमार पुत्र रामाश्रय प्रसाद निवासी मालीपुर थाना नगरा जनपद बलिया, 2. सुजित कुमार जायसवाल पुत्र अरविन्द कुमार निवासी सिपाह थाना मधुबन जनपद मऊ को अवैध अंग्रेजी व देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। उक्त अभियुक्त के सम्बन्ध में थाना कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

अपराध करने का तरीका - अभियुक्त अमित कुमार / सुजित कुमार जायसवाल उपरोक्त एक शातीर किस्म का अवैध शराब तस्कर अपराधी है जो आस पास के जनपदो के ठेको से अंग्रेजी व देशी अवैध शराब को इकट्ठा कर जनपद मऊ के रास्ते वाहन ट्रक नं. UP 54 T 7970 से बिहार राज्य मे ले जाकर शराब बन्दी के दौरान ऊंचे दामो में बेचने का कार्य करते है।

पंजीकृत अभियोग -

1. मु.अ.सं. 092/2025 धारा 60, 63 आबकारी अधिनियम थाना कोतावाली नगर जनपद मऊ।

गिरफ्तार अभियुक्त –

1. अमित कुमार पुत्र रामाश्रय प्रसाद निवासी मालीपुर थाना नगरा जनपद बलिया।
2. सुजित कुमार जायसवाल पुत्र अरविन्द कुमार निवासी सिपाह थाना मधुबन जनपद मऊ।

बरामदगी –

1. अंग्रेजी शराब 49 पेटी 08 PM स्पेशल,
2. देशी शराब 01 पेटी बंटी बबली,
3. 04 पेटी बिल्लो रानी,
4. 14 पेटी विन्डिज मजेदार,
5. 22 पेटी बीयर किंग फिशर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

2. उ.नि. सुभाष चन्द्र, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह, प्रभारी एसओजी / स्वाट टीम / सर्विलांस सेल जनपद मऊ मय टीम
4. हे.का.विनोद कुमार सरोज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
5. का. विजय यादव, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का. रवि किरन सिंह, थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

गुमशुदा/खोए कुल 06 मोबाइल फोन लगभग 71,000 (इकहत्तर हजार) रुपये कीमती बरामद कर उनके स्वामियों को किया गया सुपुर्द–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना सरायलखन्सी साइबर टीम द्वारा थाना स्थानीय पर दर्ज गुमशुदगी को सीईआईआर पोर्टल के माध्यम से गुमशुदा मोबाइल धारको का थाना स्थानीय पर नियुक्त साइबर टीम द्वारा गुमशुदा 06 मोबाइलों लगभग 71,000 (इकहत्तर हजार) रुपये कीमती को बरामद कर उनके स्वामियों को सुपुर्द किया गया। जिसमें शैलेश कुमार यादव पुत्र हरिश्चन्द्र यादव निवासी रस्तीपुर थाना सरायलखन्सी, जोगिन्द्र पुत्र चौथी निवासी इन्दरपुर भलेया थाना सरायसखन्सी, मनोज कुमार यादव पुत्र बलिराम सिंह यादव निवासी सनेहु सलामतपुर थाना सरायलखन्सी, सुनील कुमार पुत्र बासुदेव निवासी जे0जे0 कॉलोनी वजीरपुर उत्तरी पश्चिम दिल्ली, संजय कुमार पुत्र पांचू निवासी बीबीपुर बगली पुजड़ा थाना सरायलखन्सी, संतविजय सिंह पुत्र स्वामीनाथ सिंह निवासी सोनौरा थाना मुहम्मदाबाद जनपद मऊ आवेदको द्वारा उच्चाधिकारियों व थाना सरायलखन्सी के अधिकारी/ कर्मचारियों का आभार व्यक्त किया।

बरामदकर्ता पुलिस टीम–

प्रभारी निरीक्षक श्री शैलेश सिंह, निरीक्षक अपराध श्री हरेन्द्र सिंह, उ0नि0 नयन कुमार बर्नवाल, म0उ0नि0 अंशी शुक्ला क0आ0 आशीष द्विवेदी, आरक्षी धीरज कुमार, म0आ0 शिखा तिवारी थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ।

अवैध तमन्चा व कारतूस के साथ एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 21.03.2025 को थाना मधुबन पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर कृष्षा आम्बेडकर शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान कटघरा शंकर के पास से अभियुक्त राकेश पुत्र हरिकिशुन निवासी कटघराशंकर थाना मधुबन जनपद मऊ के कब्जे से एक अदद नाजायज तमन्चा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद कर गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में उक्त अभियुक्त के विरूद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 91/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत कर चालान न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

1. राकेश पुत्र हरिकिशुन निवासी कटघराशंकर थाना मधुबन जनपद मऊ।

बरामदगी–

1. एक अदद नाजायज तमन्चा 315 बोर।
2. एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के क्रम में मानिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के उपरांत दोषसिद्ध 02 अभियुक्तों को आजीवन कारावास व ₹23,000-23,000 के अर्थदंड से हुया दंडित-

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल के प्रभावी पैरवी के उपरांत माननीय न्यायालय विशेष न्यायाधीश अनु0 जाति/अनु0 जनजाति अधि0 जनपद मऊ द्वारा दिनांक 21-03-2025 को मु0अ0सं0 1255ए/2009 के धारा 323,302,379,504, भादवि व 3(1)5 एससी/एसटी एक्ट थाना सरायलखन्सी में दोषसिद्ध अभियुक्तगण दीनानाथ चौहान उर्फ लालू चौहान पुत्र रामवृक्ष उर्फ भगेलू, अनीता चौहान पत्नी दीनानाथ उर्फ लालू चौहान निवासीगण कारीसाथ थाना घोसी जनपद मऊ को कारित अपराध के लिए आजीवन कारावास की सजा एवं ₹23,000-23,000 जुर्माने के दण्ड से दंडित किया गया, अर्थदंड न अदा करने पर 02-02 माह के अतिरिक्त कारावास से दंडित किया जायेगा।

सजा कराये जाने में विशेष लोक अभियोजक श्री अखिलेश कुमार सिंह, प्रभारी मॉनिटरिंग सेल निरीक्षक श्री नवल किशोर सिंह, मुख्य आरक्षी अनिल सिंह तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी विनोद चौरसिया थाना सरायलखन्सी का सराहनीय योगदान रहा।